जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम
अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को मिलेगा विकल्प

जयपुर, 22 मई। जयपुर डिस्कॉम द्वारा अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कनेक्शन लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दो विकल्प देने का निर्णय लिया है और इस बाबत डिस्कॉम द्वारा आदेश जारी कर इसकी सख्ती से पालना करने के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि अविद्युतीकृत क्षेत्रों में जहां डेवलपरों द्वारा निगम के मापदण्डों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य नही कराया जाता है ऐसी योजनाओं में घरेलू, अघरेलू व फार्म हाउस कनेक्शन के लिए आवेदकों से प्लाट के क्षेत्रफल के अनुसार विद्युतीकरण की राशि वसूल की जाती थी।

उन्होंने बताया कि अब ऐसे उपभोक्ताओं को दो विकल्प मिलेगे, जिसके अनुसार प्लाट मालिक चाहे तो प्लाट के क्षेत्रफल के अनुसार अथवा सेल्फ फाईनेन्सिग स्कीम के अनुसार कनेक्शन ले सकते हैं। सेल्फ फाईनेन्सिग स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ता से 11केवी लाईन की लागत व 11/0.4 केवी वितरण ट्रांसफार्मर की लागत वसूल की जाएगी।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 760/2018